

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर

क्र./ 783 / SLA/ 2019/
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 05/03/2019

- | | |
|---|--|
| 1. संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
मंत्रालय, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर | 2. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
पेंशनबाड़ा, रायपुर |
| 3. प्रबंध संचालक,
समग्र शिक्षा, एकीकृत भवन,
पेंशनबाड़ा रायपुर | 4. संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
छत्तीसगढ़, रायपुर |
| 5. सचिव,
मदरसा बोर्ड,
पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास
रायपुर | 6. सचिव,
संस्कृत विद्या मण्डलम्
राजेन्द्र नगर, रायपुर |
| 7. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी | 8. समस्त, डाइट प्राचार्य |

विषय – SLA (State Level Assessment) हेतु दिशा-निर्देश।

दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2019 को बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय मंथन सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को राज्य शासन द्वारा Assessment नोडल संस्था नामांकित किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु राज्य के समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं में अध्ययनरत छात्रों का राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा के माध्यम से बेस लाइन Assessment किये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश क्र. /विद्या/सी/467/5वीं-8वीं परीक्षा/स.सा./2018-19/46 अटल नगर, दिनांक 29.01.2019 को अधिक्रमित करते हुए शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु राज्य के समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं अध्ययनरत विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा – SLA (State Level Assessment) के द्वारा बेस लाइन Assessment किया जाएगा।



SLA के उद्देश्य :

सत्र 2018-19 की वार्षिक परीक्षा को बेसलाइन, 2019-20 की वार्षिक परीक्षा को मिडलाइन एवं 2020-21 की वार्षिक परीक्षा को एंडलाइन के रूप में लिया जाएगा और इसके परिणामों के विश्लेषण के आधार पर सुझावात्मक कार्यवाहियों की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षागत प्रक्रियाओं में सुधार करते हुए शिक्षकों का सतत क्षमता विकास करना एवं शिक्षण अधिगम को आनन्ददायी शिक्षा के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है।

SLA हेतु निर्देश:

1. कार्यक्रम का नाम – SLA (State Level Assessment)
2. कार्यक्रम की अवधि –3 वर्ष

बेस लाइन	मिडलाइन	एण्डलाइन
2018-19	2019-20	2020-21

3. नोडल संस्था – राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर
 - नोडल – संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर
 - सहायक नोडल – अतिरिक्त संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर
4. आकलन प्रभारी
 - जिला स्तर – प्रशासनिक समन्वयक – जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
अकादमिक समन्वयक – प्राचार्य, डाइट (समस्त)
 - विकासखण्ड स्तर – प्रशासनिक समन्वयक-विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त)
अकादमिक समन्वयक-अकेडेमिक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त)
 - संकुल स्तर – समन्वयक-संकुल समन्वयक (समस्त)

SLA के बेसलाइन एसेसमेंट किए जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सम्पन्न की जानी है:


Base Line : Time Line

क्र.	कार्य का विवरण	उत्तरदायित्व	प्रतिभागी / सहभागी	स्थल / उत्तरदायित्व	स्तर	पूर्णता तिथि
1	आकलन प्रकोष्ठ गठन	SCERT	SCERT, DPI, SS DIET, CGBSE Subject Experts and Stakeholders	SCERT	राज्य	02 मार्च
2	प्रश्न पत्र का निर्माण	SCERT (Class 1 st – 8 th)	SCERT, DPI, DIET, Subject Experts	SCERT	राज्य	15 मार्च
3	प्रश्न पत्रों का मुद्रण	DEO	-	DEO	जिला	22 मार्च
4	प्रश्न पत्रों का वितरण	DEO	BEO, ABEO & CAC	DEO	जिला	29 मार्च
5	परीक्षा की समय सारिणी	DPI	SCERT & DPI	राज्य	राज्य	30 मार्च से 25 अप्रैल
6	उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच	संकुल	शिक्षक	संकुल	शाला	10 मई
7	डाटा प्रविष्टि	DEO & BEO	SS (UDISE), NIC	संकुल	नोडल शाला	20 मई
8	डाटा विश्लेषण	आकलन प्रकोष्ठ	सदस्य आकलन प्रकोष्ठ	SCERT	राज्य	05 जून
9	अंतिम रिपोर्ट	आकलन प्रकोष्ठ	सदस्य आकलन प्रकोष्ठ	SCERT	राज्य	10 जून

9h

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए बेसलाइन आकलन के प्रभावी क्रियान्वयन की उत्तरदायी एवं कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट 01 से 05 के अनुरूप करें।


नोट— समय-समय पर SLA (State Level Assessment) की समीक्षा विडियो कांफ्रेंसिंग (VC) के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में अद्यतन जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।


(गौरव द्विवेदी) 5/3/18
प्रमुख सचिव,
छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./ 784/ SLA/ 2019/
प्रतिलिपि:—

अटल नगर, दिनांक 05/03/2019

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।


प्रमुख सचिव, 5/3/18
छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Annexure-1

SLA (बेसलाइन एसेसमेंट) हेतु महत्वपूर्ण रणनीतियाँ :

प्रश्न पत्र तैयार करना :

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में स्थापित आकलन प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित कक्षाओं में सभी विषयों एवं सभी कक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। सभी प्रश्नों को लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क के साथ मैप किया जाएगा। सभी जिलों की विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के लिए एक ही प्रकार के प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :

- डाइट के आकलन प्रकोष्ठ को उनके यहाँ विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न कक्षावार एवं विषयवार प्रश्नों के निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- जिलों द्वारा अब तक बनाए गए प्रश्नों की भी समीक्षा की जाएगी।
- प्रश्नपत्रों के नमूने एवं ब्लूप्रिंट आदि से शिक्षकों को परिचित कराया जाएगा।
- विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को प्रश्नपत्र में स्थान दिया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी लर्निंग आउटकम्स की जांच के लिए निर्धारित होगा।
- विभिन्न कठिनाई के स्तरों के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम के विभिन्न हिस्सों एवं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर अधिभार।
- पाठ्यवस्तु के आधार पर उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार करना।
- प्रश्नों के महत्व, वैधता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- प्रश्न पत्र तैयार करते समय निम्नानुसार प्रपत्र का प्रयोग किया जाएगा –

क्र.	लर्निंग आउटकम्स	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न	अंक

आयोजन

- बेसलाइन आकलन पूरे प्रदेश की शालाओं में एक बार एक ही तिथि में प्रारंभ होगा। इसकी समय सारिणी राज्य स्तर से जारी की जाएगी।
- कक्षाओं में आकलन यथासंभव अन्य शिक्षक द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- आकलन के दौरान पर्यवेक्षकों की अदला बदली की जा सकेगी ताकि प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।
- बेसलाइन आकलन के दौरान विभिन्न स्तरों के अधिकारी सघन रैंडम मॉनिटरिंग करेंगे।
- इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

- प्रतिदिन आकलन के पश्चात् संबंधित शिक्षक अपने निकट के संकुल या शाला संकुल में उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे।
- संकुल स्रोत केंद्र अथवा किसी एक स्कूल को जांच केंद्र के रूप में चिन्हित कर इसे जांच केंद्र के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। इस शाला को डाटा एकत्रीकरण केंद्र (Data Collection Centre) के रूप में जाना जाएगा।
- एक संकुल की सभी शालाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अन्य संकुल में भेजकर करवाई जाएगी, इस हेतु DEO/BEO आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- जांच करने वाले शिक्षकों को इस हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे कोई प्रश्न किसी लर्निंग आउटकम्स से जुड़ा होता है
- किसी प्रश्न के हल के आधार पर की प्रविष्टि के लिए केवल दो ही विकल्प होंगे –यदि प्रश्न का उत्तर छात्र को आता है अर्थात् लर्निंग आउटकम्स हासिल हुआ है अथवा उत्तर छात्र नहीं दे पा रहा है तो लर्निंग आउटकम्स हासिल नहीं हुआ है।
- उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद अंक देते समय प्रश्नों के रूब्रिक्स या अन्य किसी विधि से जांचकर्ताओं को इस बात से अवगत करवाया जाएगा कि छात्र द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कैसे अंक दिए जाएं ताकि विश्वसनीयता एवं वैधता बनी रहे।
- राज्य स्तर पर डाटा भेजते समय प्रविष्टि लर्निंग आउटकम्स की स्थिति के आधार पर हाँ अथवा नहीं में होगी।
- उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के बाद डाटा एन्ट्री के लिए तैयार एप्लीकेशन में शाला का डाईस कोड, कक्षा एवं विषय आदि का चयन कर प्रत्येक प्रश्न के आधार पर कुल कितने सही अथवा गलत में प्रविष्टि करेंगे।



SLA (बेसलाइन एसेसमेंट) के लिए जिम्मेदारियाँ

राज्य नोडल अधिकारी के उत्तरदायित्व :

माह अप्रैल, 2019 में आयोजित होने वाले बेसलाइन आकलन से हम वर्तमान स्थिति का आकलन कर उसमें कम से कम दस प्रतिशत की वृद्धि के लिए कार्यनीति बनाकर पहल करेंगे। इस आकलन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :-

- कक्षा पहली से आठवीं तक सभी कक्षाओं में आयोजित होगा।
- इस आकलन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- राज्य स्तर से प्रश्न तैयार कर जिलों के माध्यम से शालाओं को भेजे जाएंगे।
- सभी प्रश्नों को लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क के साथ मैप किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर शालावार आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा।
- एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण कर सुधार हेतु रणनीतियां बनाई जाएंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी:

- जिले में UDISE डाटा के आधार पर कुल शालाओं एवं कक्षावार, विषयवार, शालावार आवश्यक प्रश्नपत्रों की संख्या का निर्धारण, प्रश्नपत्रों का मुद्रण, गोपनीयता एवं शालाओं तक नियत तिथियों में पहुँचाए जाने की व्यवस्था।
- आकलन हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व प्रश्नपत्रों का मुद्रण।
- प्रश्नपत्रों एवं उत्तरपुस्तिकाओं के वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- आकलन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान दल का गठन कर आकस्मिक निरीक्षण/ऑडिट के लिए निर्देश देकर फॉलो-अप लेना।
- सभी संकुलों में उत्तर पुस्तिका जाँच केन्द्र का चिन्हांकन।
- डाटा-प्रविष्टि के लिए शालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर छात्रों का आकलन एवं डाटा प्रविष्टि।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी एक संकुल के केन्द्र में उसी संकुल के शाला की उत्तर पुस्तिकाएँ न हो।
- सभी कार्यों की नियमित मानिट्रिंग एवं प्रत्येक सप्ताह में दो बार समीक्षा बैठक।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी:

- आकलन एवं जाँच के दौरान आकस्मिक निरीक्षण एवं ऑडिट दल का गठन।
- आंकड़ों की प्रविष्टि ठीक से एवं समय पर करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- संकुल स्तर पर उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप शिक्षकों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का आकलन।
- कम से कम रैंडम 10 प्रतिशत शालाओं के प्रविष्टियों की जाँच।
- समय पर उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच एवं आंकड़ों की प्रविष्टि।



संस्था प्रमुख:

- आकलन के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना।
- उत्तरपुस्तिकाओं को जाँच केन्द्र तक पहुँचाना और जाँच हेतु शिक्षकों को उपलब्ध कराना।
- शाला के सभी छात्रों को आकलन के लिए तैयार कर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर जाँच की सत्यता की पुष्टि करना।
- शिक्षकों के द्वारा डाटा प्रविष्टि में आवश्यक सहयोग करना।

संकुल समन्वयक:

- आकलन के आयोजन में शाला से उच्च कार्यालय से नीचे जानकारियों के प्रवाह में मुख्य भूमिका निभाना।
- अपने संकुल की कम से कम पाँच शालाओं द्वारा भरी गई जानकारियों की जाँच कर पुष्टि करना।
- समय-सीमा में विभिन्न निर्धारित कार्यों को संपन्न करवाना।
- संकुल स्तर पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों को जांच के लिए उपलब्ध कराना।
- उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निर्धारित मानदंड अनुसार सुनिश्चित करना।
- डाटा प्रविष्टि में आवश्यक सहयोग देना और समय पर संपन्न करना।

शिक्षक:

- कक्षा में लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप नियमित अध्यापन कर सभी छात्रों की दक्षता विकास हेतु सतत प्रयास करना।
- अपने छात्रों के आकलन के परिणामों के आधार पर सुधार हेतु प्रयास।
- निर्धारित शालाओं में छात्रों का आकलन कर उत्तर पुस्तिकाएँ सौंपना।
- जांच केन्द्र में जाकर निर्धारित तिथियों में आकलन कार्य संपन्न करना।



Annexure-3

SLA (बेसलाइन एसेसमेंट) हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के जांच केन्द्रों की जानकारी

केन्द्र का नाम	संकुल समन्वयक	मोबाइल नंबर	शामिल शालाएं	जांच के लिए शिक्षक	अन्य

Gh

Annexure-4

SLA (बेसलाइन एसेसमेंट) के आकस्मिक निरीक्षण/आडिट हेतु दल एवं भ्रमण का विवरण

अधिकारी का नाम	मोबाइल नंबर	कुल शालाएं	जांच की गयी शालाएं	जांच के दौरान अनियमितता	अन्य



Annexure-5

समय-सारिणी

(कक्षा पाँचवी एवं आठवी)

क्र.	कक्षा	विषय	परीक्षा की तिथि	समय
1	2	3	4	5
1	कक्षा पाँचवी	गणित	02.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.00 बजे
		पर्यावरण	04.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.00 बजे
		अंग्रेजी (द्वितीय भाषा)	08.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.00 बजे
		हिन्दी (द्वितीय भाषा)	09.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.00 बजे
		हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू एवं अन्य भाषा (प्रथम भाषा)	16.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.00 बजे
2.	कक्षा आठवीं	गणित	30.03.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		विज्ञान	03.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू एवं अन्य भाषा (प्रथम भाषा)	05.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		संस्कृत	08.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		अंग्रेजी (द्वितीय भाषा)	10.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		हिन्दी (द्वितीय भाषा)	11.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे
		सामाजिक विज्ञान	12.04.2019	प्रातः 8.00 से 10.30 बजे